बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र04/र0वि0अधि0–01/12 – 3793 खाद्य, पटना/दिनांक – 15/6/2012

प्रेषक,

ए0 के0 सिन्हा,
विकास आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– रब्बी विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए राज्य खाद्य निगम एवं पैक्स को अनुमान्य आकस्मिक (Incidentals) व्यय के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि रब्बी विपणन मौसम 2012–13 में गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ–साथ अधिप्राप्ति में संलग्न एजेन्सियों के लिए विभिन्न मदों में आकस्मिक (Incidentals) व्यय का प्रावधान किया गया है । ज्ञातव्य है कि बिहार में रब्बी विपणन मौसम 2012–13 के लिए गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम के अलावे पैक्स को भी किसानों से गेहूँ अधिप्राप्ति का दायित्व दिया गया है तथा बिहार राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है । राज्य खाद्य निगम को ही पैक्सों से भी अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ को प्राप्त कर उसे नये बोरे में सिलाई कर भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराना है । इस प्रकार पैक्स के साथ–साथ राज्य खाद्य निगम का भी गेहूँ अधिप्राप्ति में हथालन एवं परिवहन मद में व्यय हो रहा है ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.04.12 को उच्च स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार रब्बी विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम को भारत सरकार द्वारा निर्धारित इन्सीडेंटल में वर्णित गनी बैग्स के मद में प्राप्त राशि का भुगतान किया जाना है एवं शेष मदों में प्राप्त राशि (कमीशन सहित) का भुगतान पैक्स को किया जाना है ।

इस विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 192(9)/2012–एस.एफ.सी./सी.एस. दिनांक 03.05.12 द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित इन्सीडेंटल के Cost sheet में **परिवहन एवं हथालन दर को राज्य खाद्य निगम एवं पैक्स के बीच आधा–आधा** विभाजित कर राशि अनुमान्य होगा ।

पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 2306 दिनांक 12.04.12 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

अनु० – Costsheet की छायाप्रति संलग्न ।

विकास आयुक्त 14/6/2012

D:\2012\Sec_4\RMS.doc